>

Title: Problems being faced by farmers of Kalahandi and Nuapada of Odisha due to non-acceptance of declaration forms and premium by Agriculture Insurance Company of India Limited.

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गम्भीर विषय की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र कालाहांडी और नवपाड़ा जिले में आता है। जब जून और जुलाई माह में बारिश कम हुई, तो किसानों को लगा कि अकाल आने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में किसान बैंक पहुंच गये और कृषि बीमा करने के लिए कहने लगे और करीब 42 ब्रांचेज जो कालाहांडी और नयापाड़ा में है और जिसकी नोडल ब्रांच भुवानी-पटना में है। इसमें करीब 22365 किसानों ने क्रॉप इंश्योरेंस की थी। जुलाई 25 से जुलाई 31 तक और बाद में जब तारीख बढ़ाई गयी तो किसानों ने अगस्त 16 तक क्रॉप इंश्योरेंस की थी, उसका पैसा बैंक में भरा। उसके बाद जो नोडल ब्रांच भुवानी-पटना है उसने सारे प्रीमियम को कलैक्ट करके डिक्लेरेशन फार्म के साथ, कॉटअप डेट जो था एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वह 16 सितम्बर 2011 था, उसमें डिमांड ड्राफ्ट जो है एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रीजनल ऑफिस भूवनेश्वर के नाम पर भरके 7 अक्टूबर को, डिक्लेरेशन फार्म के साथ प्रीमियम एमाउंट भी जमा किया था। इसके बाद जो एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड रीजनल ऑफिस भूवनेश्वर ने कुछ कमियां स्क्रूटनी में निकालकर डिक्लेरेशन फार्म को नोडल ब्रांच को भेज दिया। नोडल ब्रांच ने करैक्ट करके वापस भेजा तो उसे डिक्लेरेशन फार्म और प्रीमियम एमाउंट को एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार नहीं किया।

महोदय, इस समय भयानक अकाल दोनों जिलों में है और 75 प्रतिशत से ज्यादा क्रॉप की हानि हो चुकी है। किसान त्रस्त हैं और अगर इन किसानों के प्रीमियम एमाउंट को सरकार स्वीकार नहीं करेगी, एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्वीकार करेगी नहीं, तो किसानों की क्या स्थिति होगी, यह आप सोच सकते हैं। महोदय, यह पैसा छोटे और गरीब किसानों द्वारा इंश्योरेंस किया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन और चेयर को निवेदन करता हूं कि एआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मार्ग-दर्शन दिया जाए, निर्देश दिया जाए कि किसानों के प्रीमियम एमाउंट और डिक्लेरेशन फार्म को स्वीकार करें। ऐसा नहीं हुआ तो 22365 किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा और मेरा यहां सदन में आने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। महोदय, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसानों का क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा देने के लिए चेयर से निवेदन कर रहा हूं, नहीं तो मेरे पास आमरण अनशन हाउस में करने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। आप इस ओर ध्यान दें और चेयर की ओर से मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, मेरे किसानों को प्रोटेक्शन दिया जाए।